

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर (राज.) 302005

क्रमांक : प 23(22)परि/प्र.नि./EV/2019/12771

दिनांक: 16/7/21

कार्यालय आदेश 10/2021

राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनो की खरीद को प्रोत्साहन देने हेतु इलैक्ट्रिक वाहनो के क्रेताओं को SGST राशि का पुनर्भरण एवं एकमुश्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया जाता है। SGST राशि का पुनर्भरण समस्त प्रकार के इलैक्ट्रिक वाहनो पर देय है। एकमुश्त अनुदान राशि दोपहिया व तिपहिया इलैक्ट्रिक वाहनो पर बैटरी क्षमता अनुसार देय है। यह अनुदान 01.04.2021 से 31.03.2022 तक क्रय किये गये एवं 31.03.2022 तक पंजीकृत किये गये वाहनो पर देय है। वाहन का क्रय राजस्थान राज्य से ही किया जाना आवश्यक है। वित्तीय हस्तांतरण संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के स्तर से किया जाना है।

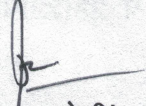
SGST की राशि का पुनर्भरण, वाहन विक्रेता के द्वारा बिल मे दर्शायी गयी राशि के बराबर किया जाना है। एकमुश्त अनुदान राशि निम्न तालिका के अनुसार देय है।

एकमुश्त अनुदान राशि				
(दोपहिया वाहन)			तिपहिया वाहन (ई-रिक्शा, ई-आटो, ई-भारवाहन)	
क्र.सं.	बैटरी क्षमता	अनुदान राशि	बैटरी क्षमता	अनुदान राशि
1	2 KWH तक	5,000 / -	3 KWH तक	10,000 / -
2	4 KWH तक	7,000 / -	4 KWH तक	15,000 / -
3	5 KWH तक	9,000 / -	5 KWH तक	17,000 / -
4	5 KWH से अधिक	10,000 / -	5 KWH से अधिक	20,000 / -

वित्तीय परिलाभ हस्तांतरण हेतु वाहन विक्रेता/पंजीयन अधिकारी संबंधित जिला परिवहन अधिकारी को विक्रय/पंजीयन किये गये वाहनो की सूचना निम्न प्रारूप में प्रत्येक कार्यदिवस को ई मेल के द्वारा प्रेषित करेंगे।

वाहन स्वामी का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन का पंजीयन क्रमांक	बैटरी क्षमता	बिल न. क्रमांक	वाहन स्वामी का बैंक खाता संख्या (कैंसिल चैक सलंगन करें)	बैंक का नाम	IFSC कोड	SGST की राशि	वाहन स्वामी का मोबाइल न.

जिला परिवहन अधिकारी उक्त सूचनाओं की जांच करके भुगतान की कार्यवाही 7 दिवस में पूर्ण करें। यह वित्तीय परिलाभ जिला परिवहन कार्यालय स्तर से स्वतः ही वाहन क्रेता के बैंक खाते में हस्तांतरित किये जाने है। लाभार्थी द्वारा आवेदन अपेक्षित नहीं है। परिलाभ हस्तांतरण की सूचना प्रत्येक सोमवार को मुख्यालय को प्रेषित करें।


(महेन्द्र सोनी)

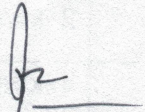
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन विशेष शासन सचिव

क्रमांक : प 23(22)परि/प्र.नि./EV/2019/12772-79

दिनांक: 16/7/21

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
5. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
6. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
7. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


परिवहन आयुक्त एवं
पदेन विशेष शासन सचिव